न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

प्रकरण संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
10/2016	24/10/2016	03.05.208

पीठसीन अधिकारी :– कृष्ण गौपाल जोजन(R.A.S.)

–:: उनवान::–

1. मनोहर कंवर पत्नी भंवर सिंह आयु वर्ष जाति राजपूत निवासी हाल संतोषीनगर कोटा राजस्थान

अपीलांट

–:: बनाम ::–

1 दुर्गा सिंह आत्मज श्री मानसिंह जाति राजपूत निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राज0
2 ग्राम पंचायत खैराबाद तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा
3 दी स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी कोटा

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बनाराजगी नामांतरण सं0 1320 दिनांक 16/5/1989 ग्राम पंचायत खैराबाद

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री तेजसिंह धाभाई श्री घनश्याम धाकड़
2. श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी श्री हेमन्त जैन श्री चैतन माहेश्वरी

–:: निर्णय ::–

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक अपील मेमो अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि,

1 यह कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 2415 की रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा आराजी जिसका वर्तमान खसरा नंबर 3140 है जो कि नामांतरण सं0 1320 दिनांक 16/5/1989 से पूर्व खातेदार गोरधन सिंह आत्मज किशन सिंह के नाम खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उक्त नामांतरण को दर्ज किए जाते समय आराजी के मालिकाना अधिकारो बाबत सिविल वाद सं0 85/79 बउनवान पुष्पा बाई बनाम दुर्गा सिंह वगैरह सिविल न्यायाधीश व0ख0 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमंडी जिला कोटा के न्यायालय में विचाराधीन था। जिसमे रेस्पोडेंट कम 1 भी प्रतिवादी पक्षकार था।

Scanned by CamScanner

2 यह कि उक्त सिविल वाद 1979 में दायर किया गया था जिसकी सुनवाई कर दिनांक 16/11/1995 को उक्त वाद का निर्णय पारित किया गया निर्णय में रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत स्वंय के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को न्यायालय द्वारा नल एंड वॉइड घोषित किया गया था।

3 यह कि रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद उक्त कूटरचित वसीयतनामें के आधार पर उक्त आराजी को स्वयं के नाम नामान्तरित करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया तथा रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा उक्त वसीयतनामें के अनुसार नामान्तरण सं 1320 दिनांक 16/5/1989 स्वीकृत कर रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जो विधि विरूद्व है।

4 यह कि नामान्तरण आदेश दिनांक 16/5/1989 रेस्पोडेंट कम 2 व 3 द्वारा तस्दीक किया गया था तथा जिस वसीयतनामे से उक्त नामान्तरण दर्ज कर रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार घोषित कर दिया गया है जिससे उक्त नामान्तरण रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में गलत रूप से दर्ज किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

5 यह कि रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में किया गया उक्त नामांतरण आर्बीट्रेरी परर्वस व केप्रिशियस की श्रेणी में आता है जो अपास्त किए जाने योग्य हे।

6 यह कि रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा किया गया उक्त नामान्तरण बिना माइंड अप्लाई किए सरसरी तौर पर पारित किया गया है जो खारिज किए जाने योग्य है।

7 यह कि उक्त नामान्तरण प्रारंभ से शुन्य हाने से अपास्त किए जाने योग्य है।

8 यह कि अपील को देरी से प्रस्तुत किए जाने का कारण पृथक से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित किया जा रहा है।

9 यह कि अपील हर प्रकार से विधिवत रूप से उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है।

10 यह कि अपील के अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किए जावेगें।

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण सं 1320 दिनांक 16/5/1989 को खारिज किया जावे तथा आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड में नोट अंकित करवाया जावे व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अपीलांट के पक्ष में हो पारित की जावे।

अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मेमो के साथ निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

1. प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 1320 ग्राम खैराबाद निर्णय दिनॉक 16.05.1989
2. छायाप्रति निर्णय एवं डिकी मिसल नम्बर 85/79 निर्णय दिनॉक 16.11.1995 माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0)एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी
3. छायाप्रति निर्णय इजराय संख्या 4/2000 श्रती पुष्पाबाई बनाम दुर्गालाल आदेश दिनॉक 4.8.14
4. छायाप्रति नकल निर्णय मि0न0 05/2014 श्रीमती पुष्पाबाई बनाम दुर्गासिंह माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी निर्णय दिनॉक 21.05.2016
5. नकल फर्द मिलान ग्राम खैराबाद 2004–2024
6. नकल जमाबन्दी ग्राम खैराबाद 2004–2024 खाता नम्बर 276 मय नोट नामा 3034 , 3306 , 3493, 3527,

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडैन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पो0 नम्बर 1 की और से श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। रेस्पा0 नम्बर 1 द्वारा निम्न कॉस आब्जेक्शन जवाव प्रस्तुत किया। विवरण अधोलिखितानुसार है।

1 यह कि अपील की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम खैराबाद तह0 रामगंजमंडी के पुराने खसरा नं 2415 एवं नये खसरा नं 3140 होना स्वीकार है।

2 यह कि मद नं0 2 का उत्तर इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 16/11/1995 से पूर्व ही रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में दिनांक 16/5/1989 को इंतकाल तस्दीक किया गया है उक्त इंतकाल का जिक सन 1989 से लेकर दिनांक 16/11/1995 के निर्णय तक वादी पुष्पा बाई द्वारा नही किया गया है जबकी इसकी जानकारी वादिनी पुष्पाबाई को उसी समय हो चुकी थी व उसका इन्द्राज जमावंदी व अन्य रेवेन्यु रेकार्ड में हो चुका था।

Scanned by CamScanner

3 यह कि अपील मेमो में नामांतरण संख्या 1320 दिनांक 16/5/1989 रेस्पोडेंट कम 1 के पक्ष में दर्ज होना स्वीकार है जा विधि संवत है। अन्य मद अस्वीकार है।

4 यह कि मद नं 4 पूर्णतया अस्वीकार है। इस संबन्ध में सिविल न्यायालय का निर्णय है तो उसकी पालना दिनांक 16/11/1995 से आज दिनांक तक नही हुई हैं।

5 यह कि अपील मेमो की मद नं 5 अस्वीकार है ग्राम पंचायत खैराबाद द्वारा अपने अधिकारो का इस्तेमाल कर विधि संवत निर्णय दिया है जिसकी इस अपील मेमो के अलावा अन्य कोई अपील नही होने से उक्त नामान्तरण आदेश आज भी प्रभावशील हैं।

6 यह कि मद नं 6 पूर्णतया अस्वीकार है पंचायत की कोरम से निर्णय दिया गया है इसलिए माइंड अप्लाई नही किया जाना निरर्थक व अस्वीकार हैं।

7 यह कि मद नं 7 अस्वीकार है।

8 यह कि उक्त मद पूर्णतया अस्वीकार है सम्बन्धित इंतकाल नं 1320 दिनांक 16/5/1989 को दर्ज किया गया जिसकी अपील 27 वर्षो बाद उक्त अपील दिनांक 18/10/2016 दर्ज है किन्तु न्यायालय के रिकार्ड में दिनांक 24/10/2016 दर्ज की गई है। इस प्रकार पिछले 27 वर्षो के डिले कंडोन करने का कोई उचित कारण प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिये दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में लिखे गये कथन तथ्यो से परे होने से व वास्तविकता को छुपाने से अस्वीकार है। सही स्पष्टिकरण न देने से प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम निरस्तनीय है। उक्त सम्पूर्ण मद अस्वीकार है। इसका विवरण कास आब्जेक्शन में अलग से दिया जा रहा है।

9 (7) यह कि मद नं 9(7) अस्वीकार है। अपील अवधि मध्यप्रस्तुत करना पूर्णतया अस्वीकार है। 27 वर्षो बाद अपील पेश की गई है जबकि विधि अनुसार अपील पेश करने की मियाद मात्र एक महिने की होती है।

10 (8) यह कि मद नं 10(8) अस्वीकार है।

प्रार्थना अपीलांट पूर्णतया अस्वीकार है।

कॉस आब्जेक्शन विशेष आपत्तियॉः–

Scanned by CamScanner

1 यह कि उक्त अपील मनोहर कंवर पत्नि भंवर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है जो मात्र एक डमी केन्डीडेट है उपरोक्त अपीलांट मनोहर कंवर जो की फर्जी व जाली वसीयतनामा दिनांक 8/5/2003 के आधार पर अपने आप को जवाहर सिंह आत्मज गोविंद सिंह जाति राजपूत निवासी मांगरोल की प्रतिनिधी बताया जाना वर्णित किया गया है तथा कथित वसीयतनामा में ग्राम खैराबाद के पुराना खसरा नं 2211 का वर्णन किया गया है।

2 यह कि अपीलांट सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 16/11/1995 की पालना आज दिनांक तक नही करवा सकी है उक्त डिक्री घोषणा की डिक्री सही है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 58 के अनुसार पालना हेतु विधिक अवधि 3 वर्ष है जो गत कई वर्षो पूर्व समाप्त हो चुकी है ओर अब उक्त डिक्री की पालना किसी भी सूरत में नही करवाई जा सकती। इस सम्बंध में निवेदन है कि निर्णय के बाद डिक्रिदार श्री मति पुष्पाबाई द्वारा निर्णय की पालना हेतु इजराय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी दोराने इजराय डिक्रीदार की मृत्यु हो जाने पर जवाहरसिंह ने अपने आप को कायम मुकाम बनाकार पेश किया इसके बाद सिविल न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटियो के अनुसार निर्णय देकर इजराय प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया जिसकी अपील अपीलेट न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगंजमंडी जिला कोटा में की गई जहां से उक्त अपील को पुनः सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड रामगंजमंडी में रिमांड की जाकर वसीयतनामा जो की मनोहर कंवर के पक्ष में जवाहरसिंह द्वारा किया गया के सम्बंध में विधिवत रूप से जांच किये जाने बाबत आदेश प्रदान किया गया।

3 यह कि सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड रामगंजमंडी द्वारा इस इजराय प्रार्थनापत्र में शहादत प्रार्थिया में मनोहरकंवर के बयान हुए तथा वसीयतनामा को तथाकथित दोनो गवाह राजेंद्र सिंह एवं महेंद्र सिंह के बयान नही हुए मात्र एक गवाह मनोज पुरी नोटेरी पब्लिक के बयान हुए, इस संबंध में माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड रामगंजमंडी द्वारा निर्णय दिनांक 4/8/2014 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनोहर कंवर द्वारा डिक्रीदार के प्रतिनिधी के रूपमें प्रतिस्थापित होने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया इस निर्णय का अंतिम पेरा नं 14 में निम्न प्रकार विवेचन किया गया है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के पश्चात मेंरा यह मत है कि तथाकथित वसीयत के आधार पर वादिया इस प्रकरण में डिक्रीदार के स्थान पर प्रतिस्थापित होना चाहती थी, अर्थात मनोहर कंवर का उत्तराधिकार का यदि कोई आधार है तो वह प्रदर्श– 1 ही है। परन्तु क्योकि इस दस्तावेज को धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अर्न्तगत साक्ष्य में नही पडा जा सकता है। ऐसे मे प्रदर्श–1 का महत्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। दस्तावेज अतिरिक्त मनोहर कंवर के पक्ष में डिक्रीदार के प्रति उसका उत्तराधिकारी होने के संबंध में कोई भी आधार उपलब्ध नही है। इन परिस्थितियो में मेरा यह मत है कि प्रार्थिया मनोहर कंवर डिक्रीदार के प्रतिनिधी के स्वरूप में प्रतिस्थापित होने की अधिकारी नही है।

इस प्रकार अपीलांट मनोहर कंवर को जवाहर सिंह का प्रतिनिधी कायममुकाम उक्त वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट उक्त संबंध में अपील प्रस्तुत कर सकती है। अपीलांट सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड रामगंजमंडी के आदेश के वाद एक स्ट्रेन्जर है। जिसकी हैसियत स्ट्रेन्जर से ज्यादा नही हो सकती है उसे माननीय न्यायालय में से अपील पेश करने का अधिकार किसी भी रूप में नही है।

4 यह कि माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ट खण्ड रामगंजमंडी का आदेश दिनांक 4/8/2014 की अपील माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगंजमंडी में प्रस्तुत की गई थी जो की दिनांक 21/5/2016 को निरस्त हो गई है इस अपील में भी माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामगंजमंडी ने अधीनस्थ न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ट खण्ड रामगंजमंडी के आदेश दिनांक 4/8/2014 की पुष्टि की है। जिसकी द्वितीय अपील अपीलांट द्वारा सम्माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश नही किए गये है। रेस्पोडेंट की जानकारी के अनुसार उक्त अपील सम्माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एडमिट नही हुई है ऐसी स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ट खण्ड रामगंजमंडी का आदेश दिनांक 4/8/2014 अंतिम एवं प्रभावशील है।

5 यह कि इस प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि सिविल न्यायालय द्वारा जिस वसीयत नामा को निरस्त किया गया है उसमें भी न्यायालय में पेश की गई अपील में वर्णित खसरा न0 1320 बाबत खसरा नं 2415 पुराना नया 3140 के सम्बंध में अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वैसे भी सिविल न्यायालय के आदेश के बाद माननीय न्यायालय को इस सम्बंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है।

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त इंतकाल न0 1320 दिनांक 16/5/1989 की अपील दिनांक 18/10/2016 को माननीय नयायालय में पेश की गई है जो लगभग 27 वर्षो बाद प्रस्तुत की गई है 27 वर्षो के विलम्ब का कोई बोनाफाईड स्पष्टिकरण नही दिया गया है ऐसी स्थिति में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र कोई महत्व नही रखता है। इंतकाल की अपील एक माह में की जानी थी किन्तु 27 वर्षो बाद अपील पेश की गई है। जो कि इसी स्टेज पर निरस्तनीय है।

7 यह कि इंतकाल नं 1320 दिनांक 16/5/89 को तस्दीक किया गया है उक्त खसरा नं की भूमि रेस्पोडेनट कम 1 द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई है जिसका इंतकाल खुल चुका है। उक्त भूमि विक्रय पत्र के आधार पर जर्ये इंतकाल नं 3034 से हरगोविंद सुनेजा उसके बाद जर्ये इंतकाल न0 3306 से राजेंद्र बाबू नितिन पाटीदार, रोहित पाटीदार उसके बाद जर्ये नामांतरण नं 3493 से असद अख्तर, मंजूर अहमद,माजिद अख्तर तथा वर्तमान में इंतकाल नं 3527 से हेमंत जैन के खाते दर्ज चली आ रही है। वर्तमान खातेदार हेमंत जैन आत्मज नेमीचंद जैन निवासी रामगंजमंडी है जिसका कब्जा उक्त भूमि पर रजिस्ट्री दिनांक से चला आ रहा है वर्तमान खतेदार हेमंत जैन एवं पूर्व के समस्त खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है ऐसी स्थिति में नॉन ज्वाइनडर ऑफ पार्टी अपील निस्तनीय है इस प्रकार उक्त भूमि पर मनोहर कंवर का प्रारम्भ से अभी तक कोई कब्जा नही है। ऐसी स्थिति में भी अपील मेमो निरस्तनीय है।

8 यह कि उपरोक्त सभी बिन्दुओ के आधार पर अपीलांट मनोहर कंवर द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जो की विधि अनुसार किसी भी रूप मे पोषणीय नही है तथाकथित सम्पत्ति गोरधन सिंह व उसके बाद पुषावाई व उनकें अन्य कायम मुकामान का लिंक नही पेश किया गया है जबकि अपीलांट मनोहर कंवर के पक्ष में किया गया वसीयतनामा भी सिविल न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अपील निरस्तनीय है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट सव्यय निरस्त फरमाई जाने के आदेश प्रदान करे।

रेस्पो0 द्वारा अपने कॉस ऑब्जेक्शन के साथ निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

Scanned by CamScanner

1. छायाप्रति वसीयतनामा द्वारा जवाबहरसिंह बहक मनोहरकॅवर दिनॉक 08.05.2003
2. छायाप्रति निर्णय इजराय संख्या 4/2000 श्रती पुष्पाबाई बनाम दुर्गालाल आदेश दिनॉक 4.8.14
3. छायाप्रति नकल निर्णय मि0न0 05/2014 श्रीमती पुष्पाबाई बनाम दुर्गासिंह माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी निर्णय दिनॉक 21.05.2016
4. नकल जमाबन्दी ग्राम खैराबाद 2004–2024 खाता नम्बर 276 मय नोट नामा 3034 , 3306 , 3493, 3527,

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस आधार पर दायर किया गया है उस वसीयतनामें को कोर्ट के निर्णय दिनांक 16/11/1995 द्वारा नल एंड वॉइड घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार नामान्तरकरण का आधार ही समाप्त हो चुका है। प्रकरण में दायर किये गये नामान्तरकरण का आधार समाप्त हो जाने से नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्तनीय है।

रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद उक्त कूटरचित वसीयतनामें के आधार पर उक्त आराजी को स्वयं के नाम नामान्तरित करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया तथा रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा उक्त वसीयतनामें के अनुसार नामान्तरण सं 1320 दिनांक 16/5/1989 स्वीकृत कर रेस्पोडेंट कम 1 को खातेदार दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जो विधि विरूद्व है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अन्य कथन हस्व अपील मेमो दोहराकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण को खारिज करने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा 27 वर्षो के अन्तराल के उपरान्त अपील प्रस्तुत की है जबकि इनको इस प्रकरण का प्रारम्भ से ही जानकारी है, तथा 27 वर्षो का डे बाय डे विलम्ब का कोई कारण अवगत नहीं कराया है। माननीय सिविल न्यायाधीश रामगंजमण्डी के निर्णय मि0न0 4/2000 दिनॉक 4.8.14 में इन्है पुष्पाबाई का उत्तराधिकारी ही नहीं माना है। उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी में प्रस्तुत की जिसमें इनकी

Scanned by CamScanner

अपील अस्वीकार कर दी गई है तथा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) रामगंजमण्डी का निर्णय बहाल रखा गया है।

प्रथम तो अपीलान्ट मृतक पुष्पाबाई की उत्तराधिकारी ही नहीं है और नामान्तरकरण की अपील 27 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गई है। जिस वसीयतनामें के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है वह आराजी खसरा नम्बर 2211 रकबा 15 बीघा की है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण आराजी खसरा नम्बर 2415 रकबा 13 बीघा के संबंध में दायर किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में नामा0 1320 दिनॉक 16.05.1989 के कॉलम 6 व 12 तथा वसीयतनामा दिनॉक 08.05.2003 के द्वितीय पैरा लाईन नम्बर 2 व 3 का हवाला दिया। साथ ही साथ विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण से प्रभावित भूमि को फर्दन–फर्दन कई खातेदारों को बेचान की जा चुकी है तथा उक्त खातेदारों या उनके अंतिम खातेदारों का पक्षकार नहीं बनाया है तथा इसके उपरान्त दायर तथा प्रमाणित नामान्तरकरणों के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट नॉन जोईडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रस्त है। अतः अपील मय खर्चा खारिज़ फरमाई जावे।

रिपीट में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि उक्त निर्णय दिनॉक 21.05.2016 माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी की अपील माननीय हाईकोर्ट में की जा चुकी है। तथा अपील मेमों की प्रति प्रस्तुत की। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

इस पर विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि रेस्पा0 को इसकी सम्यक जानकारी नहीं है और जो अपील मेमों की प्रति प्रस्तुत की गई है उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी के निर्णय को निरस्त नहीं किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा अपने अपने कथनों के समर्थन में माननीय न्यायालयों के दृष्टान्त प्रस्तुत किये। हमने सम्मान सहित उन नजीरों का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रकरण पर उनके चस्पान्गी बाबत विचार किया गया।

Scanned by CamScanner

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन तथा मनन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य, अपील का आलंबन, वॉछित अनुतोष , रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत कॉस ऑब्जेक्शन , कॉस ऑब्जेक्शन के तथ्य , वॉछित अनुतोषादि , तथा उभयपक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का सम्यक अवलोकन कर विचार किया गया।

प्रकरण में अपीलाधीन नामान्तरकरण नम्बर 1320 को ग्राम खैराबाद की भूमि आराजी खसरा नम्बर 2415 रकबा 13 बीघा के संबंध में पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनॉक 30.12.1978 के आधार पर दिनॉक 15.05.1989 को दायर किया , उक्त नामा0 की विधिवत् जॉच संबंधित भू0अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनॉक 15.05.89 को की गई तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा " राजस्व अभियान " में दिनॉक 16.05.89 को अपना आदेश पारित किया गया। उक्त वसीयतनामें के बारे में विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट का कथन है कि , उक्त वसीयतनामा को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनॉक 16.11. 1995 को निरस्त कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के निर्णयों का ससम्मान अवलोकन के उपरान्त हम यह पाते है कि उक्त वसीयतनामा को दिनॉक 16.11.1995 को निरस्त किया गया है किन्तु इससे एक तथ्य तो प्रमाणित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायात खैराबाद के समक्ष जब नामान्तरकरण वास्ते निर्णय प्रस्तुत किया गया तत्समय उक्त वसीयतनामा प्रभावशील था इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण बिना माइंड अप्लाई किए सरसरी तौर पर पारित किया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान में अर्थात मजमें आम में उक्त नामान्तरकरण को प्रमाणित कर आदेश पारित किया गया है वह न तो सरसरी तौर पर जाहिर आता है और न ही बिना माईण्ड अप्लाई किये ही दृष्टिगत होता है। अर्थात तत्समय उक्त नामान्तरकरण पर कोई आक्षेप नहीं था।

जब 16.11.1995 को प्रकरण वर्णित वसीयतनामा 30.12.1978 जिसको किसी भी पक्ष द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है को खारिज कर दिया गया था तो अपीलान्ट द्वारा नियत समय पर नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की ? यह विचारणीय तथ्य है।

Scanned by CamScanner

प्रकरण में माननीय सिविल न्यायालय रामगंजमण्डी के निर्णय दिनॉक 16.11.1995 की जो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें वसीयतनामें की तारीख 5.12.78 अंकित की हुई है और नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति के कॉलम नम्बर 14 में अंकित है कि " वसीयतनामा रजिस्टर्ड द्वारा सब रजिस्ट्रार रामगंजमण्डी कमॉक 13 दिनॉक 30.12.78 " इस प्रकार माननीय न्यायालय के द्वारा वसीयतनामें की अंकित तारीख तथा नामान्तरकरण में अंकित तारीख के बारे में विरोधाभाष का कोई तथ्य किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) रामगंजमण्डी द्वारा निर्णय दिनॉक 4.8.2014 के द्वारा अपीलान्ट को पूर्व निर्णय की डिक्रीदार के स्थान पर कायम मुकाम नहीं माना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय के पृष्ठ 6 के पैरा 2 में अंकित किया है कि " तथाकथित वसीयत के आधार पर वादिया इस प्रकरण में डिक्रीदार के स्थान पर प्रतिस्थापित होना चाहती थी अर्थात मनोहरकॅवर का उत्तराधिकार का यदि कोई आधार है तो वह प्रदर्श–1 ही है। परन्तु क्योकि इस दस्तावेज को धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसे में प्रदर्श–1 का महत्व पूर्णरूप से समाप्त हो जाता है। दस्तावेज के अतिरिक्त मनोहरकॅवर के पक्ष में डिक्रीदार के प्रति उसका उत्तराधिकारी होने के संबंध में कोई आधार उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में मैरा यह मत है कि प्रार्थियॉ मनोहरकॅवर डिक्रीदार के प्रतिनिधि के स्वरूप में प्रतिस्थापित होने की अधिकारी नहीं है। "

उक्त निर्णय की अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश रामगंजमण्डी में प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनॉक 21.05. 2016 से अस्वीकार कर दिया तथा पूर्व निर्णय 4.8.2014 की पुष्टि की गई।

माननीय न्यायालयों के निर्णय की रोशनी में यह पाया जाता है कि उक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में यह प्रकट होता है कि जिस निर्णय व डिक्री की इजराय मृतक पुष्पाबाई के पक्ष में होनी थी उसमें अपीलान्ट को मृतक पुष्पाबाई का उत्तराधिकारी ही स्वीकार नहीं किया गया है। तो अपीलान्ट को प्रकरण वर्णित भूमि का हितबद्व पक्षकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपील अपीलान्ट में यह अंकित नहीं किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट किस प्रकार से प्रभावित है ? अर्थात अपीलाधीन आदेश

Scanned by CamScanner

के जारी होने से मनोहरकँवर किस प्रकार विधिकरूप से आहत है ? मनोहरकँवर के पक्ष में दो सम्माननीय न्यायालयों द्वारा यह प्रतिस्थापित किया जा चुका है कि वह मृतक पुष्पाबाई की उत्तराधिकारी नहीं है तो उक्त प्रकरण की वर्णित भूमि पर उसको उत्तराधिकारी या हितबद्ध पक्षकार भी अपील के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) रामगंजमण्डी के निर्णय दिनॉक 16.11.95 में तनकी नम्बर 13 मूर्त की गई है जिसमें यह अंकित किया गया है कि " **आया एस0डी0ओ0कोर्ट रामगंजमण्डी में प्रस्तुत दावे के निर्णय से पूर्व यह दावा चलने योग्य नहीं है।** " उक्त तनकी को माननीय न्यायालय में प्रेस ही नहीं किया गया। तथा न ही इस न्यायालय में कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि इस विषयगत भूमि के संबंध में पूर्व में कोई नियमित वाद इस न्यायालय में विचाराधीन रहा हो।

प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा रिलीफ में अंकित किया गया है कि " अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तरण सं 1320 दिनांक 16/5/1989 को खारिज किया जावे तथा आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड में नोट अंकित करवाया जावे व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अपीलांट के पक्ष में हो पारित की जावे। "

इस प्रकार आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड में किस कारण तथा किस आगामी आदेश तक नोट अंकित किया जावे यह तथ्य स्पष्ट नहीं है।

अपीलान्ट अपील के माध्यम से जो अनुतोष चाहती है वस्तुतः वह नियमित वाद की विषयवस्तु है ,जो नियमित वाद में विवाद्यक बिन्दु कायम कर , सम्यक साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोंपरान्त विधि अनुसार अपना पक्ष प्रमाणित होने पर ही देय है।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं ही हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमि की हाल व साविक खसरा नम्बर का फर्द मिलान तथा नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि पर रेस्पो0 न0 1 के अतिरिक्त अन्य खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

अपीलान्ट द्वारा यह अवगत नहीं कराया है कि उसने हस्तगत प्रकरण से संबंधित भूमि के वर्तमान खातेदारान् को पक्षकार क्यों नहीं बनाया है जबकि दुर्गासिंह का उक्त भूमि से हस्व रिकार्ड आज कोई सरोकार होना प्रमाणित नहीं है। "

Scanned by CamScanner

थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जावे कि हस्तगत प्रकरण में अपीलधीन आदेश को अपास्त कर दिया गया है तो इसका परिणाम यह होगा कि राजस्व रिकार्ड के अभिलिखित खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही उसके विरूद्व आदेश पारित होगा , और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का स्पष्ट हनन होगा।

प्रकरण वर्णित भूमि से संबंधित खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अपील अपीलान्ट में नॉन जोईडर ऑफ पार्टीज का दोष परिलक्षित होता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया गया।

1. अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि से संबंधित पूर्व खातेदारान् की उत्तराधिकारी अथवा कायम मुकामान नहीं है यह माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में ही तय कर दिया है।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रकरण से प्रभावित भूमि के खातेदारो आदि को सुनवाई हेतु पक्षकार नहीं बनाया है। जिससे प्रकरण नॉन जोईडर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित है।
3. अपील अपीलार्थी बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा इतने लम्बे अन्तराल का डे–बाय–डे कोई ठोस कारण अवगत नहीं करवाया गया है।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है कि वह प्रकरण वर्णित भूमि से किस प्रकार हितबद्व है।
5. अपीलार्थी द्वारा यह भी अवगत नहीं करवाया है कि तत्समय नामान्तरकरण किस प्रकार अवेध था।
6. जिस वसीयतनामें के आधार पर अपीलार्थी हस्तगत प्रकरण वर्णित भूमि की कार्यवाही कर रही है उस वसीयतनामें को माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार ही नहीं किया है और अपीलार्थी को पूर्व खातेदार/हितबद्व की उत्तराधिकारी व कायम मुकाम ही स्वीकार नहीं किया है। यदि उसे थोड़ी देर के लिये सही भी मान लिया जावे तो उक्त वसीयतनामें में भी भूमि के खसरा नम्बर अलग है तथा प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के भूमि के खसरा नम्बर अलग है।
7. अपीलार्थी का अपील में लोकस स्टेन्डाई या हित या हितबद्व पक्षकार या पीडित पक्ष होना प्रकट नही होता है।

Scanned by CamScanner

8. यदि अपीलार्थी चाहे तो प्रकरण वर्णित भूमि के संबंध में अपने हितों की घोषणा हेतु, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में नियमित वाद प्रस्तुत कर सकती है।

9. अपीलाधीन आदेश पारित करते समय उक्त वसीयतनामा अस्तित्व में तथा प्रभावकारी था इससे अपीलधीन आदेश में तत्समय के दृष्टिकोण से कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है और न ही अपीलार्थी के स्वत्व प्रकरण वर्णित भूमि में अपील के मार्फत तय किये जा सकते है, क्योकि हस्व0 विवेचन अपीलान्ट प्रकरण वर्णित भूमि की हितबद्व पक्षकार प्रतीत नहीं होती है।

इस प्रकार अपील अपीलान्ट में विधिक तथा तकनीकि त्रुटियॉ है, जिनके आधार पर अपीलार्थी को वॉच्छित अनुतोष दिया जाना विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो की रोशनी में उचित नहीं पाया जाता है। वॉच्छित अनुतोष हेतु अपीलार्थी स्वत्व की घोषणा व दुरुस्ती हेतु पृथक से दावा प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील व तरमीम दाखिल दफ्तर हो।

(कृष्ण गोपाल जोशन) 3/5/2018
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनॉक 3 /05/2018 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(कृष्ण गोपाल जोशन) 3/5/2018
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner